पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2012 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या -19439

==========

मधुसूदन प्रसाद तांती, पिता-स्वर्गीय फेकू प्रसाद तांती, निवासी, गाँव-हरानौत, डाकघर और थाना-हरनौत, जिला-नालंदा।

...याचिकाकर्ता/गण

बनाम्

1. उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, प्रधान कार्यालय, कलमबाग चौक, मुजफ्फरपुर-842001 के अध्यक्ष के माध्यम से।

2. उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुख्य कार्यालय, कलामबाग चौक, मुजफ्फरपुर-842001 के अध्यक्ष सह अनुशासनात्मक प्राधिकरण।

3. उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक बोर्ड सह अपीलीय प्राधिकरण, मुख्य कार्यालय, कलामबाग चौक, मुजफ्फरपुर-842001 के महाप्रबंधक के माध्यम से।

4. उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुख्य कार्यालय, कलामबाग चौक, मुजफ्फरपुर-842001 के महाप्रबंधक।

....उत्तरदातागण

==========

उपस्थितिः

याचिकाकर्ताओं की ओर से : श्री अभिनव श्रीवास्तव, अधिवक्ता।

श्री बिनोद कुमार सिन्हा, अधिवक्ता।

उत्तरदाता बैंक की ओर से : श्री प्रभाकर झा, अधिवक्ता।

श्री अमितेश झा, अधिवक्ता।

==========

क्या उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक द्वारा याचिकाकर्ता की बर्खास्तगी ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 341 का उल्लंघन किया है। - क्या अनुच्छेद 341 के तहत राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार, बिहार में 'पान' जाति अनुसूचित जाति (एससी) श्रेणी में आती है- न्यायालय ने देखा कि संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के तहत बिहार में 'पान' जाति को अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता दी गई है (पैरा 6)। - बैंक द्वारा गलत वर्गीकरण के आधार पर याचिकाकर्ता की बर्खास्तगी ने संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया। बिहार कल्याण विभाग के ज्ञापन द्वारा हटाए गए पुराने स्पष्टीकरण पर निर्भरता अवैध थी (पैरा 9)। न्यायालय ने बर्खास्तगी आदेश को रद्द कर दिया, तथा इस बात पर बल दिया कि राष्ट्रपति की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सूची अपरिवर्तनीय है, जब तक कि इसमें संसद द्वारा संशोधन न किया जाए (पैरा 7-8)।

==========

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

कोरम - माननीय न्यायमूर्ति श्री पूर्णेन्दु सिंह

मौखिक निर्णय

तारीखः 27-06-2024

याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री बिनोद कुमार सिन्हा के साथ श्री अभिनव श्रीवास्तव तथा प्रतिवादी बैंक की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री अमितेश झा के साथ श्री प्रभाकर झा को सुना गया।

2. याचिकाकर्ता ने रिट याचिका के पैरा-1 के प्रार्थना के अनुसार निम्नलिखित राहतों की मांग की है, जो *अन्य बातों के साथ* इसके बाद पुनः प्रस्तुत किए गए हैंः

> *"कि यह आवेदन याचिकाकर्ता की ओर से दायर किया जा रहा है जिसमें प्रतिवादी संख्या-02, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुख्य*

कार्यालय, कलामबाग चौक, मुजफ्फरपुर-842001 के अध्यक्ष सह अनुशासनात्मक प्राधिकरण के पारित आदेश संख्या-784, दिनांक 23.11.2011, प्रशासनिक आदेश संख्या-785 दिनांक-23.11.2011 के साथ् पठित जिसमें आवेदक को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया (जैसा कि अनुलग्नक 4 एवं 4/1 में निहित है) और प्रतिवादी संख्या-4 उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुख्य कार्यालय, कलामबाग चौक, मुजफ्फरपुर-842001 के महाप्रबंधक, के पत्रांक-389 दिनांक-26.07.2012 में धारित सूचना जिसके अनुसार याचिकाकर्ता के द्वारा दायर अपीलीय ज्ञापांक जिसमें दिनांक 23.11.2011 के उक्त आदेश की समीक्षा के लिए दाखिल किया गया था, को खारिज कर दिया गया है(जैसा कि अनुलग्नक 6 में निहित है) को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता आगे सभी परिणामी राहत के अनुदान के लिए प्रार्थना करता है जो याचिकाकर्ता को तत्काल मामले के तथ्यों में हकदार पाया जाता है।

3. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता अनुसूचित जाति अर्थात् 'पान' जिसे 'तांती' भी कहा जाता है, को वर्ष 1980 में तत्कालीन चंपारण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मोतिहारी में जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल-1 के पद पर नियुक्त किया गया था और उसने 25.08.1980 को अपनी ज्वाइनिंग जमा किया था। उन्हें वर्ष 1989 में जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल-II के पद पर पदोन्नत किया गया था और उन्हें वरिष्ठ प्रबंधक, लेखा परीक्षा और निरीक्षण विभाग, प्रधान कार्यालय, मोतिहारी के पद पर नियुक्त किया गया था। प्रतिवादी संख्या-2 के द्वारा पत्र संख्या-273 दिनांक 10.08.1996 के द्वारा एक आरोप पत्र याचिकाकर्ता को ज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें आरोप का अनुच्छेद शामिल है। जाँच प्राधिकरण- सह- अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने दिनांक-11.11.2008 को जाँच पूरा किया और अपने निष्कर्ष अध्यक्ष -सह -अनुशासनात्मक प्राधिकरण उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुख्य कार्यालय, कलामबाग चौक, मुज़फ़्फ़रपुर (प्रतिवादी संख्या 2) को दिनांक 09-01-2009 को प्रस्तुत किए थे, जिसमें कहा गया था कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप साबित नहीं हुए थे। अध्यक्ष -सह -अनुशासनात्मक प्राधिकरण (प्रतिवादी संख्या 2) ने

दिनांक 09.01.2009 के जांच प्राधिकरण के निष्कर्षों से असहमति जताते हुए याचिकाकर्ता को पत्र संख्या-585 दिनांक-03.10.2011 के माध्यम से दिनांक 09.01.2009 की जाँच प्रतिवेदन के निष्कर्ष के साथ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अध्यक्ष – सह-अनुशासनात्मक प्राधिकरण, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुज़फ़्फ़रपुर (प्रतिवादी संख्या - 2) ने याचिकाकर्ता को बैंक सेवा से बर्खास्त करने का आदेश पारित किया, जो दिनांक 23.11.2011 से प्रभावी था, जिसका आदेश संख्या-784 दिनांक-23.11.2011 था तथा याचिकाकर्ता को इसकी सूचना प्रशासनिक आदेश संख्या-785 दिनांक-23.11.2011 द्वारा जारी दिया गया। याचिकाकर्ता ने दिनांक 23.11.2011 (जैसा कि अनुलग्नक-4 और 4/1 में निहित है) के उपरोक्त आदेशों से व्यथित और असंतुष्ट होने के कारण, दिनांक 23.11.2011 के बर्खास्तगी के उपरोक्त आदेश के खिलाफ अपीलीय प्राधिकरण यानी उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर (प्रतिवादी संख्या-3) के निदेशक मंडल के समक्ष दिनांक 08.12.2011 को अपील की। अपीलीय प्राधिकरण ने आदेश संख्या-389 दिनांक 26.07.2012 के माध्यम से अपील को खारिज कर दिया है। विवादित आदेश से आहत होकर याचिकाकर्ता की ओर से वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है।

<u>याचिकाकर्ता के स्वयं के बारे में निवेदन</u>

4. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने मुख्य रूप से प्रस्तुत किया कि संवैधानिक (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 को देखते हुए, याचिकाकर्ता के 'पान' जाति, जो अनुसूचित जाति है। उक्त तथ्य को राज्य कल्याण विभाग द्वारा ज्ञापन संख्या-638 दिनांक-31.01.1992 के माध्यम से स्पष्ट किया गया है कि बिहार राज्य में 'पान' जाति अनुसूचित जाति की श्रेणी के अंतर्गत आती है और इसे आमतौर पर 'तांती' भी कहा जाता है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी-बैंक द्वारा जिन स्पष्टीकरणों पर भरोसा किया गया है, वे क्रमशः सामान्य प्रशासन विभाग के संयुक्त सचिव, जिला दंडाधिकारी और प्रखंड विकास अधिकारी द्वारा जारी किए दिनांक-15.08.2011,

29.06.2011 और 17.06.2011 के आदेश हैं और इनका एक प्रबल प्रभाव है। इस तरह से दी गई गलत जानकारी को संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, विभाग के तत्कालीन प्रधान सचिव द्वारा ज्ञापन संख्या-5374 (याचिकाकर्ता की ओर से दायर पूरक हलफनामे के अनुलग्नक-5) में निहित दिनांक-21.04.2014 के आदेश के माध्यम से स्पष्ट किया गया था कि 'पान' एक अनुसूचित जाति है और तांती को आमतौर पर अनुसूचित जाति भी कहा जाता है। इन पृष्ठभूमि में, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि अनुलग्नक-4 और अनुलग्नक 4/1 में निहित दिनांक 23.11.2011 के आक्षेपित आदेशों को रद्द किया जा सकता है और संविधान के अनुच्छेद 341, 14 और 16 का उल्लंघन करने के कारण रद्द किया जा सकता है।

5. *इसके विपरीत*, प्रतिवादी बैंक की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अमितेश झा ने प्रस्तुत किया कि बैंक ने संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार द्वारा बैंक को दिए गए स्पष्टीकरण के आधार पर कार्यवाही की है, जैसा कि प्रति शपथ पत्र के अनुलग्नक-ए में निहित है और उक्त जानकारी के आधार पर याचिकाकर्ता के खिलाफ जुर्माना लगाने का निर्णय लिया गया।

6. पक्षों की ओर से प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों को सुनने के बाद, संवैधानिक (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 के अनुसार, 'पान' जाति अनुसूचित जाति श्रेणी के अंतर्गत आती है। राज्य सरकार कल्याण विभाग द्वारा ज्ञापन संख्या-638 दिनांक-31.01.1992 के माध्यम से यह स्पष्टीकरण दिया गया है कि क्या 'पान' और 'तांती' एक ही जाति हैं और तत्पश्चात यह महसूस करते हुए कि संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार द्वारा बैंक को दिनांक-15.08.2011, 29.06.2011 और 17.06.2011 के संचार के माध्यम से गलत जानकारी दी गई थी, तत्कालीन प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग ने ज्ञापन संख्या-5374 (याचिकाकर्ता की ओर से दायर पूरक हलफनामे के अनुलग्नक-5) में निहित दिनांक-21.04.2014 को स्पष्टीकरण आदेश

जारी किया कि 'पान' जाति अनुसूचित जाति श्रेणी के अंतर्गत आती है और 'पान' जाति को बिहार राज्य में 'तांती' के रूप में भी जाना जाता है। मैं पाता हूं कि अनुलग्नक-4 और 4/1 में निहित दिनांक-23.11.2011 का विवादित आदेश संविधान के अनुच्छेद 341(1) और 342 में निहित संवैधानिक प्रावधान के विपरीत है।

7. इस संबंध में शीर्ष न्यायालय द्वारा **पंकज कुमार बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य का मामला (दीवानी अपील संख्या 4864/2021)** के वाद में, निर्धारित कानून के पैराग्राफ संख्या 24,25,26 और 27 को उद्धृत करना फायदेमंद है, जो *अन्य बातों के साथ-साथ,* इसके बाद पुनः प्रस्तुत किया गयाः

> *"24. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में सकारात्मक कार्रवाई का जनादेश वास्तव में हमारी संवैधानिक योजना में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 341(1) और अनुच्छेद 342(1) राष्ट्रपति को किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति माने जाने वाले संविधान के उद्देश्य के लिए जाति या जनजाति या जाति, जाति या जनजाति के भीतर समूहों के हिस्से को निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है। संविधान के अनुच्छेद 341(1) और 342(1) का उद्देश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करना है जिससे वे पीड़ित हैं। यह स्पष्ट है कि जातियों, नस्ल या जनजातियों को निर्दिष्ट करने में, राष्ट्रपति को जातियों आदि के समूहों के कुछ हिस्सों तक अधिसूचना को सीमित करने के लिए अधिकृत किया गया है और इसका मतलब यह होना चाहिए कि जिन नुकसानों से वे पीड़ित हैं और सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन की जांच के बाद, राष्ट्रपति पूरे राज्य के संबंध में या राज्य के उन हिस्सों के संबंध में जातियों/जनजातियों आदि को निर्दिष्ट कर सकता है जहां वह संतुष्ट है कि नस्ल, जाति या जनजातियों के नुकसान, सामाजिक और शैक्षिक कठिनाई और*

पिछड़ेपन की जांच के बाद इस तरह के विनिर्देश को उचित ठहराता है।

25. अनुच्छेद 341 और 342 यह स्पष्ट करते हैं कि अनुच्छेद 341(1) के तहत राष्ट्रपति के आदेश में निर्दिष्ट किसी भी जाति, नस्ल या जनजाति या समूह के भीतर जाति, नस्ल या जनजाति या आदिवासी समुदाय, जैसा कि अनुच्छेद 342(1) के तहत राष्ट्रपति के आदेश में अधिसूचित किया गया है, को उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में संविधान के उद्देश्य के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति माना जाएगा, जैसा भी मामला हो और यह व्याख्या संविधान(अनुसूचित जाति)/(अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 के खंड(2) से स्पष्ट की गई है।

26. किसी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश या उसके किसी विशेष हिस्से में किसी जाति/नस्ल को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देने के लिए विभिन्न मानदंड हैं जिन्हें ध्यान में रखा जाना चाहिए। यह स्पष्ट रूप से संविधान के अनुच्छेद 341(1) और 342(1) के जनादेश से प्रकट होता है, कि विस्तृत पूछताछ के बाद, राष्ट्रपति के आदेश जारी किए जाते हैं। ऐसा करते समय, राष्ट्रपति के आदेशों में न केवल यह प्रावधान किया गया है कि किसी विशेष राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में जाति, नस्ल या जनजाति/जनजातीय समुदाय के निर्दिष्ट भाग या 18 समूह भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हो सकते हैं, बल्कि यह भी स्पष्ट किया गया है कि कुछ जातियां या जनजातियां या उनके भाग/समूह किसी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के निर्दिष्ट/विशेष क्षेत्र/जिले में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हो सकते हैं।

27. किसी भी राज्य में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्गों को निर्दिष्ट करने के लिए विचार राज्य विशिष्ट में संबंधित वर्ग के सदस्यों को होने वाले नुकसान और सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन/कठिनाइयों की प्रकृति और सीमा पर निर्भर

करता है, लेकिन यह किसी अन्य राज्य में अनुपस्थित हो सकता है जहां व्यक्ति प्रवास कर चुका है।

8. 'संविधान के अनुच्छेद 341(1) और 342 के प्रावधानों के तहत 'पान' जाति को अनुसूचित जाति के रूप में अधिसूचित किया गया है और इस संबंध में मुझे सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग से प्राप्त स्पष्टीकरण का उल्लेख करना भी उचित लगता है और उक्त स्पष्टीकरण के प्रासंगिक पैराग्राफ, *अन्य बातों के साथ*, इसके बाद पुनः प्रस्तुत किए गए हैं:

" 5.1 सर्वोच्च न्यायालय ने कई निर्णयों के माध्यम से कहा था कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत राष्ट्रपति के आदेशों को जैसा है वैसे ही पढ़ा जाना चाहिए। यह कहने की भी अनुमति नहीं है कि किसी भी जाति/उप-जाति, किसी भी जाति का हिस्सा या समूह अनुसूचित जाति क्रम में उल्लिखित जाति का पर्याय है, यदि उनमें उनका विशेष रूप से उल्लेख नहीं है। इसके अलावा, कोई भी जांच करने या यह तय करने के लिए कोई सबूत देने की अनुमति नहीं है कि किसी भी जाति के भीतर किसी भी जाति या हिस्से या समूह को सामान्य नाम में शामिल नहीं किया गया है, भले ही राष्ट्रपति के आदेश की संबंधित प्रविष्टि में इसका विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया हो। अनुसूचित जातियों को निर्दिष्ट करने वाले अनुच्छेद 341 के खंड (1) के तहत राष्ट्रपति द्वारा एक बार जारी की गई अधिसूचना को केवल संसद के एक अधिनियम द्वारा संशोधित किया जा सकता है जैसा कि अनुच्छेद 341 के खंड (2) में निर्धारित किया गया है। यह राज्य सरकारों, न्यायालयों या न्यायाधिकरण या किसी अन्य प्राधिकरण के लिए अनुसूचित जातियों की सूची को संशोधित करने, संशोधित करने या बदलने के लिए खुला नहीं है।

5.2.बिहार सरकार ने राजपत्र अधिसूचना दिनांक-02.07.2015 के माध्यम से तांती/तत्व समुदाय को पिछड़े वर्गों की राज्य सूची से हटा दिया है, ताकि अनुसूचित जाति में इसके शामिल होने पर,

'पान' स्वासी के साथ अनुसूचित जातियों के लाभ मिल सकते हैं। अभी तक बिहार के तांती/तत्व समुदाय को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल नहीं किया गया है। इसलिए, इसके सदस्यों को राजपत्र अधिसूचना में आने वाले बिहार सरकार के प्रस्ताव के संदर्भ में पान, स्वासी के नाम पर एससी का लाभ नहीं मिल सकता है। वर्तमान में तांती (तत्व), ताती, तातिन समुदाय एस. एल. में दिखाई देता है। ओ. बी. सी. की केंद्रीय सूची में संख्या 48 "।

9. उपरोक्त स्पष्टीकरण इस बात की भी पुष्टि करता है कि 'पान' जाति बिहार में अनुसूचित जातियों की राष्ट्रपति की सूची में सूचीबद्ध है।

10. हाल ही में, **रोहित नंदन बनाम भारत संघ और अन्य (2022 की सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या-12096)** के मामले में इस न्यायालय की खंडपीठ ने दिनांक 19.01.2023 के अपने निर्णय में इस प्रश्न का सामना किया कि क्या अनुच्छेद 341 के तहत राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार 'पान' अनुसूचित जाति है, अभिलेख पर सामग्री पर विचार करने के बाद, *अन्य बातों के साथ*, निम्नलिखित आदेश पारित किए हैं:

"7. अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर विचार करने और प्रतिद्वंद्वी के निवेदन पर आगे विचार करने के बाद, वर्तमान रिट याचिका में, जो मुख्य प्रश्न उत्पन्न होता है, वह यह है कि क्या याचिकाकर्ता दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में 'पान' जाति के सदस्य के रूप में अनुसूचित जाति श्रेणी के तहत लाभ प्राप्त करने का हकदार है।

8. बिहार राजपत्र अधिसूचना दिनांक-02.07.2015 के अवलोकन पर, ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकार ने केवल तांती और तांतवा समुदाय को बिहार राज्य के लिए अधिसूचित सबसे पिछड़े वर्गों की सूची से हटाने का निर्देश दिया है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यह पान और स्वासी की एक उप जाति है, जो एक अधिसूचित अनुसूचित जाति है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा पहले ही

वर्ष 1978 और 1997 में अधिसूचित किया जा चुका है। यह स्पष्ट है कि संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 के अनुसार बिहार राज्य में 'पान' और स्वासी को पहले से ही अनुसूचित जाति के रूप में अधिसूचित किया गया है और तांती और तांतवा को बिहार राज्य में अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित होने के रूप में गलत तरीके से अधिसूचित किया गया है, यह एक शीर्षक की प्रकृति और केंद्र सरकार द्वारा पहले से ही अधिसूचित पैन और स्वासी श्रेणियों का पर्याय होने के कारण, ईबीसी आयोग की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए, प्रश्नगत परिपत्र जारी किया गया है। यह एक ऐसा मामला जिसमें राज्य सरकार ने केंद्र द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति की सूची में संशोधन नहीं किया है, लेकिन उसने केवल अन्य पिछड़े वर्गों की सूची से तांती और तांतवा नामक एक विशेष प्रविष्टि को हटा दिया है और यह पाया गया है कि चूंकि वे पैन और स्वासी का पर्याय हैं, जो एक अधिसूचित अनुसूचित जाति है, इसलिए उनका नाम अति पिछड़े वर्गों की राज्य सूची से हटा दिया जाना चाहिए ताकि वे केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति श्रेणी का लाभ प्राप्त कर सकें।

9. ऐसा कोई मामला नहीं है कि राज्य सरकार ने बिना किसी कानून के राष्ट्रपति के आदेश में संशोधन किया है और किसी विशेष जाति को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल किया है, लेकिन राज्य सरकार ने केवल इस तथ्य के कारण राज्य सूची से सबसे पिछड़ी जातियों में से एक को हटा दिया है कि यह राष्ट्रपति के आदेश में पहले से ही अधिसूचित एक अनुसूचित जाति है और इसलिए, उन्हें राष्ट्रपति के आदेश का लाभ उठाने में सक्षम बनाने के लिए एक स्पष्टीकरण के रूप में परिपत्र जारी किया गया है।

10. इसके अलावा, याचिकाकर्ता को एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुसूचित जाति श्रेणी का जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया है और इसे चुनौती या रद्द नहीं किया गया है। इसलिए, सभी

व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए, याचिकाकर्ता अनुसूचित जाति श्रेणी से संबंधित व्यक्ति है।

11. ऊपर की गई चर्चा के आलोक में और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के तहत, वर्तमान रिट याचिका को अनुमति दी जानी चाहिए और तदनुसार अनुमति दी जाती है। सी. ए. टी. दिनांक 01.04.2022 का आदेश और प्रत्यर्थी सं. 3 द्वारा जारी दिनांक 14.02.2019 का आदेश रद्द कर दिए जाते हैं और अलग कर दिए जाते हैं।

12. यह न्यायालय संबंधित प्रत्यर्थियों को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करने का निर्देश देता है कि वह इस निर्णय की प्रति के संचार की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर अनुसूचित जाति श्रेणी से संबंधित है। ″

11. 2022 के सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 12096 में पारित आदेश का पालन न करने के लिए (रोहित नंदन बनाम भारत संघ, एवं अन्य), एक अवमानना याचिका को 2023 की एम. जे. सी. संख्या 1572 के रूप में प्राथमिकता दी गई थी और यह इस न्यायालय के समक्ष लंबित है।

12. परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता द्वारा वर्तमान रिट याचिका में मांगी गई राहत की अनुमति दी जाती है। ज्ञापन सं.-784 दिनांक-23.11.2011(अनुलग्नक-4) में निहित प्रशासनिक आदेश प्रत्यर्थी सं.-2 महाप्रबंधक-सह-अनुशासनात्मक प्राधिकरण, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के महाप्रबंधक द्वारा पारित पत्र संख्या-389 दिनांकित-26.07.2012 के माध्यम से संप्रेषित अपीलीय आदेश को इसके द्वारा निरस्त कर दिया जाता है और रद्द कर दिया जाता है। याचिकाकर्ता जो आज की तारीख में पहले ही सेवानिवृत्त हो चुका है, अपने निष्कासन की तारीख से पूरे वेतन के भुगतान का हकदार है और इसके परिणामस्वरूप होने वाले लाभ और उसके परिणामस्वरूप, अंतिम वेतन की गणना कानून और पेंशन आदि के अनुसार की जानी चाहिए और अन्य

सेवानिवृत्ति बकाया भी याचिकाकर्ता को तीन महीने की अवधि के भीतर अच्छी तरह से भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है।

13. अंतर्वर्ती आवेदन, यदि कोई हो, उसे भी निष्पादित किया जाता है।

14. मामले की परिस्थितियों में, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

(पूर्णेन्दु सिंह, न्यायमूर्ति)

मन्त्रेश्वर/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।